न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः–233 / 2019 दर्ज दिनांक 19.09.2019

जी सी एम एस न0 2019 / 00517 निर्णय दिनांक 01.02.2023

1. कैलाश चन्द पुत्र चौथमल उम्र 45 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदक

बनाम

1. मातादीन सिंह पुत्र माल सिंह उम्र 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र सूरत सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 01.02.2023

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी कैलाश चन्द बनाम मातादीन वगै. आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि भूमि खसरा न. 691 रकबा 0.42 है0 किस्म बारानी 1 ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है, जो कि आवेदक की खातेदारी काश्त भूमि है। उक्त भूमि आज से 20 वर्ष पूर्व आवेदक ने उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार उसके भाई अनावेदक संख्या 1 मातादीन सिंह व उसके भाई अमर सिंह से क्रय की थी तथा क्रय के समय ही उक्त अनावेदकगण अपना कब्जा हटाकर आवेदक का कब्जा करवा दिया था तथा उक्त भूमि पर क्रय के समय से ही आवेदक उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज भी उक्त भूमि पर मौके पर आवेदक ही काबिज काश्त है। उक्त भूमि की उत्तरी सीमा पर सड़क की तरफ आवेदक के कब्जा स्वामित्व के दो पुराने मकान भी बने हुए हैं। जिनके चारों और पुख्ता डण्डा निर्मित है। उक्त मकान व डण्डा उक्त भूमि खसरा न. 691 में ही बने हुए हैं जिन पर क्रय के समय से ही आवेदक का कब्जा चला आ रहा है। उक्त मकानों में आवेदक अपना सामान, पशुओं का चारा आदि डालता है। भूमि खसरा न. 691 रकबा 0.42 है0 सम्पूर्ण पर आवेदक का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड भी वादी के नाम से दर्ज है। अनावेदकगण को आवेदक की उक्त भूमि से जबरन आवेदक को बेदखल करने व उक्त भूमि की उत्तरी सीमा पर बने आवेदक के कब्जेशुदा मकानों में तोड़ फोड़ करने व उक्त मकानों की जगह कोई नया निर्माण करने का कोई किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त अनावेदकगण अवैध अनुचित व गैर कानूनी रूप से जबरन आवेदक को उसके कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा न. 691 की उत्तरी सीमा से बेदखल करने व उत्तरी सीमा पर बने आवेदक के मकानों को तोड़ने व आवेदक की उक्त भूमि की उत्तसी सीमा पर रास्ते की तरफ निर्माण करने को आमादा है, यदि उक्त अनावेदकगण अपनी मंशा में सफल हो गये, तो आवेदक को काफी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं होगी। इस कारण आवेदक अपने अधिकारों की रक्षार्थ पत्र श्रीमान् जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि तादौराने दावा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा न. 691 रकबा 0.42 है0 से जबरन आवेदक को बेदखल नहीं करे, न ही उक्त भूमि की उत्तरी [illegible] आवेदक के मकानों को तोड़े, ना ही आवेदक की उक्त भूतमि पर जबरन कब्जा कर कोई कच्चा पक्का [illegible]र्माण करे, तथा ना ही आवेदक को उसकी उक्त भूमि खसरा न. 691 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार [illegible] बाधा व व्यवधान न तो उक्त अनावेदकगण स्वयं डाले, ना ही अपने परिवारजन, रिश्तेदार, नौकर [illegible] से डलवाए तथा उक्त अनावेदकगण का पाबन्द किया जावे कि ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे आवेदक के हक हकूक जायल होते हो, तथा मौके की यथास्थिति बनायी रखे जाने हेतु भी उक्त अनावेदक[illegible] को पाबन्द किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 झूठी व मनगढन्त होने के कारण अस्वीकार है। केवल अनावेदक संख्या 1 व उसके भाई द्वारा भूमि विक्रय करना स्वीकार है। आवेदक के मकान भूमि खसरा न. 691 ग्राम नेवरी में नहीं है। अनावेदकगण शांतिप्रिय व्यक्ति है एक भूतपूर्व सैनिक को परेशान किया जा रहा है जिसने आवेदक से पहले सन् 1995 में स्वर्गीय मालसिंह से यह भूमि लम्बाई व चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 15 मीटर व उत्तर से दक्षिण 20 मीटर दस हजार रुपये नगद देकर के ली थी जिसकी लिखावट अनावेदकगण संख्या 2 के पास है वही उसके मकान टीनशैट, रसोई व चार दीवार है जिसे अनाधिकृत रूप से आवेदक हड़पना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथन में कहा कि जिस समय आवेदक ने विवादित भूमि खरीदी थी तब अनावेदक संख्या 2 के मकान बने हुए थे और अनावेदक संख्या 2 ने आवेदक को कहा था कि कल तु इस भूमि पर विवाद करेगा तो आवेदक ने एक लिखावट अनावेदक संख्या 2 को लिख कर दी थी कि जो जमीन कुआ घाटीवाला से मालसिंह पुत्र बेरीशालसिंह जीव मातादीन सिंह, अमरसिंह पुत्रगण मालसिंह की है जो मोल ली है उसमे लक्ष्मण पुत्र सूरत सिंह का मकान है। जिसकी लम्बाई व चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 15 मीटर उत्तर से दक्षिण 20 मीटर उस पर मेरा यानी आवेदक का कोई अधिकार नहीं है, इसके बावजूद आवेदक लाठी के बल पर अनावेदक संख्या 2 के मकानात हड़पना चाहता है। आवेदक को पाबन्द फरमाया जावे कि अनावेदक संख्या 2 के खरीदशुदा भूखण्ड जिस पर उसके मकानात है व चार दीवारी है के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे। आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि भूमि खसरा न. 691 रकबा 0.42 है0 किस्म बारानी 1 ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है, जो आवेदक की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि आज से 20 वर्ष पूर्व आवेदक ने तत्कालीन खातेदार उसके भाई अनावेदक संख्या 1 मातादीन सिंह व उसके भाई अमर सिंह से क्रय की थी तथा क्रय के समय ही उक्त अनावेदकगण अपना कब्जा हटाकर आवेदक को कब्जा करवा दिया था तथा उक्त भूमि पर क्रय के समय से ही आवेदक उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अनावेदकगण लड़ाकू व बदमाश प्रवृति के हैं इनकी नियत खराब है ये आवेदक को उसकी उक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा न. 691 की उत्तरी सीमा से व उत्तरी सीमा पर बने मकानों से आवेदक को जबरन बेदखल करने व उक्त भूमि जबरन कब्जा कर उक्त भूमि में बने मकानों में तोड़ फोड़ कर पुख्ता निर्माण करने को आमादा हैं। मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु भी उक्त अनावेदकगण को पाबन्द किया जावे। अनावेदक संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि अनावेदक संख्या 2 ने 10 मार्च 1995 को अनावेदक संख्या 1 के पिता स्वर्गीय मालसिंह से उनकी भूमि कुआ घाटीवाला आरामशीन के पास तन नेवरी से जो भूमि खसरा न. 691 थी में से कुछ भूमि क्रय की थी उस भूमि का माप लम्बाई चौडाई पूर्व से पश्चिम 15 मीटर व उत्तर से दक्षिण मीटर थी। जो दस हजार रुपये में ली थी जिसकी लिखावट भवानीसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी नेवरी ने लिखी थी जिस पर मालसिंह जी व उनके पुत्र अमर सिंह के हस्ताक्षर है। आवेदक बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिन्होंने एक नाजायज संगठन बना रखा है जो लाठी के बल पर लोगों की जमीन हड़पना चाहता है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में नि[illegible] तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नेवरी की सरहद में भूमि खसरा न. 691 कुल रकबा 0.42 है0 मे मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 01.02.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested